संख्या-279/2017/1835/22-2-2016-17(62)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, ग्राम-जुडवरिया, थाना-करमा, जनपद-सोनभद्र का निवासी है। पैतृक जमीन को बन्धक रखे जाने को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी 01 ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 12.08.2000 को प्रात: लगभग 10.00 बजे लाठी से मारकर अपने भाई तथा मां की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-81/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 28.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2009 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2016 तक 16 वर्ष 00 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-46 वर्ष 06 माह लगभग है, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र की आख्यानुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 12.08.2000 को लाठी से मारकर अपने भाई तथा मां की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल करने का अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रशेखर सिंह (बन्दी संख्या-44526) पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-279/2017/1835(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सोनभद्र।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-279/2017/1835@22-2-2016-17(62)/2015

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी चन्द्रशेखर सिंह (बन्दी संख्या-44526) पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, ग्राम-जुडवरिया, थाना-करमा, जनपद-सोनभद्र का निवासी है। पैतृक जमीन को बन्धक रखे जाने को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी 01 ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 12.08.2000 को प्रात: लगभग 10.00 बजे लाठी से मारकर अपने भाई तथा मां की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-81/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 28.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2009 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2016 तक 16 वर्ष 00 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-46 वर्ष 06 माह लगभग है, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र की आख्यानुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 12.08.2000 को लाठी से मारकर अपने भाई तथा मां की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल करने का अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री अवध नरायन सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।